

## **\*प्रेस विज्ञप्ति\***

### **\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\***

**\*दिनांक- अक्टूबर 22, 2020\***

#### **\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\***

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*200 वाहनों का चालान , 26 वाहनों से कुल 28900/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 14\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 118 व्यक्तियों से 12300/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 28 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। व धारा 290 भादवि मे 15 व धारा 110 जी जा0 फौ0 39 मे चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय किया गया।

#### **\*अबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***अभियुक्तगण 1. राकेश पुत्र अच्छेलाल 2. संगीता देवी पत्नी अर्जुन नि0 तिनकोनिया वनटांगिया पुरन्दरपुर के कब्जे से दो जरी कैन मे 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0\*-232/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***अभियुक्तगण 1.अमरजीत प्रसाद पुत्र रामबेलास नि0 बेलासपुर नर्सरी श्यामदेउरवा महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0\*-220/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. राजेश पुत्र मोहित नि0 बेलासपुर नर्सरी श्यामदेउरवा महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0\*-221/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र सुल्ताने नि0 वार्ड-12 सोनौली महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0\*-191/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **\*कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त सहमद अली पुत्र वाजीद अली नि० बटईडीहा थाना कोल्हुई मह० जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1560 किलोग्राम नेपाली मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

**\*आर्मस अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***अभियुक्त धीरू पुत्र जगदीश श्रीवास्तव नि० टिकुलहिया थाना निचलौल के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु०अ०सं०- 443/20, धारा- 4/25 आर्मस अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल- 14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

**\*जनपद में 21/22-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 33 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***